रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं0ः–राज/सीकर–2 /लाईमस्टोन–01

दिनांक. 23/1/2018

प्रेषित मैसर्स बेस्ट केमीकल लाईमस्टोन ईण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
कपील मण्डी
नीमकाथाना 332713
जिला– सीकर

विषयः राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित आपकी जिल्लो लाईमस्टोन खान क्षेत्रफल 32.37 हैक्टेयर (ML no 9/93) **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानो का उल्लंघन। (खान कोड 38RAJ23001)

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 05.01.2018 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(2)	As per table given under para 4(i){Part-A Geology & Reserves chapter} of approved Mining Scheme , it is proposed to drill 5(five) bore hole of each 20 mts depth for exploration purpose during the year 2015-16, But during the field visit it is observed that these bore holes have not been drilled.
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एंव पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे है तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, तो उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2016–17 की वार्षिक रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गई है।
27	आपकी उपरोक्त खान के लिये नियमानुसार वैध वितिय आश्वासन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
2) निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
3) गार्ड फाईल

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो